



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, बुधवार, 6 अक्टूबर, 2021

आश्विन 14, 1943 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

उपभोक्ता संरक्षण एवं बाट माप अनुभाग-2

संख्या 2028/84-2-2021-सी०एन०-957154

लखनऊ, 6 अक्टूबर, 2021

अधिसूचना

प०आ०-325

साधारण खंड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10 सन् 1897) की धारा 21 के साथ पठित उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 (अधिनियम संख्या 35 सन् 2019) की धारा 102 की उपधारा (1) तथा धारा 102 की उपधारा (2) के खण्ड (ज) एवं (ड) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल निम्नलिखित नियमावली बनाती हैं, अर्थात् :-

उत्तर प्रदेश उपभोक्ता संरक्षण (राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का वेतन, भत्ते एवं सेवा शर्तें) नियमावली, 2021

1-(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश उपभोक्ता संरक्षण (राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का वेतन, भत्ते एवं सेवा शर्तें) नियमावली, 2021 कही जायेगी ।

(2) यह गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से प्रवृत्त होगी ।

2-(1) जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में,-

(क) 'अधिनियम' का तात्पर्य उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019

(अधिनियम संख्या 35 सन् 2019) से है;

संक्षिप्त नाम
और प्रारंभ

परिभाषाएं

(ख) 'उपभोक्ता आयोग' का तात्पर्य अधिनियम की धारा 28 के अधीन जिला में स्थापित जिला उपभोक्ता विवाद प्रतिलोष आयोग तथा अधिनियम की धारा 42 के अधीन राज्य में स्थापित राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतिलोष आयोग से है;

(ग) 'सदस्य' का तात्पर्य यथास्थिति, जिला आयोग अथवा राज्य आयोग के सदस्य से है;

(घ) 'अध्यक्ष' का तात्पर्य यथास्थिति, जिला आयोग अथवा राज्य आयोग के अध्यक्ष से है।

(2) इस नियमावली में प्रयुक्त और अपरिभाषित किन्तु अधिनियम में परिभाषित शब्दों और पदों के वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में क्रमशः उनके लिए समनुदेशित हैं।

जिला आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों के लिये संदेय वेतन एवं भत्ते

3-(1) अध्यक्ष, ऐसे वेतन और भत्तों के लिए हकदार होगा, जैसा कि किसी जिला न्यायाधीश के लिए अतिकाल वेतनमान में अनुज्ञेय हैं।

(2) सदस्य, राज्य सरकार के किसी उप सचिव के वेतनमान के न्यूनतम वेतन तथा ऐसे अधिकारी के लिए यथा अनुज्ञेय अन्य भत्तों के बराबर वेतन प्राप्त करेगा।

(3) अध्यक्ष अथवा सदस्य के रूप में नियुक्त कोई ऐसा व्यक्ति, जो पेंशन भोगी हो, के वेतन में उसके द्वारा आहरित पेंशन की सकल राशि की कटौती की जायेगी।

(4) अध्यक्ष और सदस्य के वेतन में 3 प्रतिशत की दर से वार्षिक उत्तरोत्तर पुनरीक्षण किया जायेगा।

राज्य आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों के लिये संदेय वेतन एवं भत्ते

4-(1) राज्य आयोग का अध्यक्ष वही वेतन तथा भत्ते प्राप्त करेगा जैसा कि राज्य के उच्च न्यायालय के आसीन न्यायाधीश के लिए अनुज्ञेय हैं।

(2) राज्य आयोग का सदस्य, राज्य सरकार के विशेष सचिव के वेतनमान के न्यूनतम वेतन तथा ऐसे अधिकारी के लिए यथा अनुज्ञेय अन्य भत्तों के बराबर वेतन प्राप्त करेगा।

(3) अध्यक्ष अथवा सदस्य के रूप में नियुक्त कोई ऐसा व्यक्ति, जो पेंशनभोगी हो, के वेतन में उसके द्वारा आहरित पेंशन की सकल राशि की कटौती की जाएगी।

(4) सदस्य के वेतन में 3 प्रतिशत की दर से वार्षिक उत्तरोत्तर पुनरीक्षण किया जायेगा।

चिकित्सीय स्वस्थता

5-किसी व्यक्ति को तब तक अध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि उसे राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट किसी प्राधिकारी द्वारा चिकित्सीय रूप से स्वस्थ घोषित नहीं कर दिया जाता है।

आकस्मिक रिक्ति

6-यथास्थिति राज्य आयोग या जिला आयोग में अध्यक्ष के पद पर आकस्मिक रिक्ति के मामले में, मा0 मुख्यमंत्री जी के पास उपलब्ध सदस्यों में से अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करने की शक्ति होगी।

मकान किराया भत्ता

7-अध्यक्ष अथवा सदस्य उसी दर से मकान किराया भत्ता के लिए हकदार होगा जैसा कि राज्य सरकार के तत्समान प्रस्थिति के समूह 'क' के अधिकारी के लिए अनुज्ञेय है।

8-राज्य आयोग तथा जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्य किसी एक कैलेंडर वर्ष में चौदह दिवसों के आकस्मिक अवकाश एवं दस दिवसों के चिकित्सा अवकाश के हकदार होंगे और वे चिकित्सा उपचार एवं चिकित्सालयीय सुविधाओं के भी हकदार होंगे जैसा कि राज्य सरकार के तत्समान प्रस्थिति के समूह 'क' के अधिकारी के लिए अनुज्ञेय है।

अवकाश और
चिकित्सा उपचार
तथा
चिकित्सालयीय
सुविधाएं

9-अध्यक्ष अथवा सदस्य को अपना पद ग्रहण करने से पूर्व, अपनी आस्तियों, देनदारियों तथा वित्तीय एवं अन्य हितों की घोषणा करनी होगी।

वित्तीय एवं अन्य
हितों की घोषणा

10-(1) अध्यक्ष अथवा सदस्य, यथास्थिति, राज्य आयोग अथवा जिला आयोग की सेवा से सेवानिवृत्त होने के पश्चात् राष्ट्रीय आयोग, राज्य आयोग अथवा जिला आयोग के समक्ष विधि-व्यवसाय नहीं करेगा।

अन्य सेवा शर्तें

(2) अध्यक्ष अथवा सदस्य, यथास्थिति, राज्य आयोग अथवा जिला आयोग, में इन हैसियतों से कार्य करते समय कोई मध्यस्थता कार्य नहीं करेगा।

(3) यथास्थिति राज्य आयोग अथवा जिला आयोग का अध्यक्ष अथवा सदस्य पद धारण करने से प्रविरत हो जाने के दिनांक से दो वर्ष की अवधि तक के लिये किसी ऐसे व्यक्ति, जो राज्य आयोग अथवा जिला आयोग के समक्ष किसी कार्यवाही में कोई पक्षकार रहा हो, के प्रबंधन या प्रशासन में या उससे संबंधित किसी नियोजन को स्वीकार नहीं करेगा :

परन्तु यह कि इस नियमावली में अंतर्विष्ट कोई बात, केंद्रीय सरकार अथवा किसी राज्य सरकार अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण अथवा किसी सांविधिक प्राधिकरण या किसी केंद्रीय, राज्य या प्रांतीय अधिनियम द्वारा या तद्धीन स्थापित किसी निगम अथवा कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम संख्या 18 सन् 2013) की धारा 2 के खंड (45) में यथा परिभाषित किसी सरकारी कंपनी के अधीन किसी नियोजन पर लागू नहीं होगी।

11-अध्यक्ष अथवा सदस्य नियुक्त किये जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अपना पद ग्रहण करने से पूर्व, इस नियमावली से अनुलग्न प्रपत्र एक में पद की शपथ तथा प्रपत्र दो में गोपनीयता की शपथ ग्रहण करेगा तथा उन पर हस्ताक्षर करेगा।

पद और
गोपनीयता की
शपथ

12-वेतन, पारिश्रमिक एवं अन्य भत्तों की अदायगी, राज्य सरकार की संचित निधि से की जायेगी।

वेतन,
पारिश्रमिक तथा
अन्य भत्तों की
अदायगी

आज्ञा से,
वीना कुमारी,
प्रमुख सचिव।

अनुलग्नक

(नियम 11 देखें)

प्रपत्र-एक**राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्य के लिए पद की शपथ का प्रपत्र**

मैं राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग,...../जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग.....के अध्यक्ष/सदस्य के रूप में नियुक्त किये जाने पर, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ / ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं अपनी सर्वोत्तम क्षमता, ज्ञान और विवेकबुद्धि से राज्य आयोग / जिला आयोग के अध्यक्ष / सदस्य के रूप में अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक और शुद्ध-अंतःकरण से तथा किसी भय अथवा पक्षपात, अनुराग अथवा द्वेष के बिना निर्वहन करूँगा और मैं संविधान और देश की विधि की रक्षा करूँगा ।

()

प्रपत्र-दो**राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्य के लिए गोपनीयता की शपथ का प्रपत्र**

मैं राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग,...../जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग.....के अध्यक्ष/सदस्य के रूप में नियुक्त किये जाने पर, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ / ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं अध्यक्ष /सदस्य के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए यथापेक्षित के सिवाय, मेरे लिए विचार हेतु प्रस्तुत किये गए अथवा राज्य आयोग / जिला आयोग के अध्यक्ष /सदस्य के रूप में ज्ञात हुए, किसी मामले को किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित अथवा प्रकट नहीं करूँगा ।

()

आज्ञा से,

वीना कुमारी,

प्रमुख सचिव ।